न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/2101/2003/जैसलमेर

सिक्कू खां पुत्र अल्लाबचाये खां मुसलमान निवासी गांव जावंध नई, जिला जैसलमेर

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक अपीलार्थी
श्री आर.पी.शर्मा उप राजकीय अभिभाषक

दिनांकः 05.11.18

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–02 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को

तलब किया। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार जबाब दावा प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने दादरसी सहित कुल तीन तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 30–8–02 के द्वारा वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–12–02 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि समरी खसरा नम्बर 31 रकबा 39 बीघा 10 विस्वा अपीलार्थी को आवंटन किया गया था जिसे बाद में खसरा नम्बर 246 दर्ज कर अपीलार्थी के पक्ष में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। किन्तु इसी खसरा नम्बर में से सांगाराम चैनाराम आदि को निर्णय दिनांक 27–3–95 के द्वारा पुश्तैनी कब्जा काश्त के आधार पर 28 बीघा 10विस्वा की खातेदारी प्रदान कर दी एवं शेष 10 बीघा 12 विस्वा भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 20–7–95 के द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात प्रकरण विचारण न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान पक्षकारान में परस्पर समझौता हो गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 246 रकबा 39बीघा 7विस्वा में से 19बीघा 13विस्वा भूमि सांगाराम चैनाराम आदि के नाम खातेदारी में दर्ज की गई एवं शेष भूमि 19 बीघा 13विस्वा अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को

39बीघा भूमि का आवंटन हुआ था और आवंटन के समय से ही उसका कब्जा काश्त है और भूमि की बीघोडी भी राजकोष में जमा कराता आ रहा है। इसलिये उसे आवंटित सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रदान की जानी चाहिये थी। उनका तर्क है कि भौतिक रूप से अपीलार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 246/263 में 12 बीघा व 245 में 7बीघा 13 विस्वा कुल 19बीघा 13विस्वा पर आवंटन के समय से चला आ रहा है।इसलिये उसे उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रदान की जानी चाहिये थी। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी खातेदारी घोषित किया जावे।

5. जबाब में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर 245/263 पर अपीलार्थी मात्र अतिक्रमी है और खसरा नम्बर 245 पर उसका कभी कब्जा रहा ही नहीं है। इसलिये उसे इन खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। सम्बत 2012 से उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलार्थी का कब्जा निरन्तर प्रमाणित नहीं है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. इस प्रकरण में अपीलार्थी स्वयं को आवंटित भूमि एवं न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते हुये राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के माध्यम से उसकी खातेदारी में घोषित की गई भूमि के अन्तर की भूमि की पूर्ति खसरा संख्या 248/263 की 12 बीघा एवं खसरा संख्या 245 की 7बीघा 13 विस्वा भूमि की खातेदारी प्राप्त करना चाहता है। किन्तु इसके लिये अपीलार्थी को यह साबित करना आवश्यक है कि उक्त भूमि पूर्व में उसे आवंटित भूमि समरी खसरा संख्या 31 का ही अंग रही है। लेकिन

अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्सा ट्रेस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 248/263 एवं खसरा नम्बर 246 परस्पर चिपते हुये हैं लेकिन खसरा नम्बर 245 व 246 के मध्य खसरा नम्बर 246/324 स्थित है। हालाकि खसरा नम्बर 246 व 246/324 पूर्व में एक ही खसरा रहा है किन्तु खसरा नम्बर 248/263 खसरा नम्बर 246 के बांई ओर नक्सा ट्रेस के अनुसार स्थित है जबकि खसरा नम्बर 245 उसके विपरीत दिशा यानि दांई ओर स्थित है। इस प्रकार यदि अपीलार्थी उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह सिद्ध करना आवश्यक था कि यह भूमि उसे आवंटित समरी खसरा नम्बर 31 की भूमि रही है या फिर उसे यह सिद्ध करना था कि वह इस भूमि पर सम्बत 2012 से लगातार काबिज काश्त रहा है। अपीलार्थी ने इन दोनों तथ्यों को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध नहीं किया है। इसलिये उसे इस भूमि बाबत कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है। इसलिये बिना किसी ठोस आधार के हम द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य